न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 70/2016

1 सुभाष पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 मोहनलाल पुत्र श्री देबुराम जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं। (दौराने अपील मृत्यु)
1/1 अशोक पुत्र मोहनलाल
1/2 प्रदीप पुत्र मोहनलाल
1/3 जयप्रकाश पुत्र मोहनलाल
समस्त जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/4 संतोष पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी श्री महेन्द्र जाति जाट निवासी कमालसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
1/5 सुशीला पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी शिशराम जाति जाट निवासी भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
1/6 अनिता पुत्री श्री मोहनलाल पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
2 राजपाल पुत्र इन्द्राज
3 मुकेश पुत्र रामचन्द्र
4 रूकमणी पत्नी रामचन्द्र
5 रामकुमार पुत्र मुरली
6 इन्द्रचन्द पुत्र मुरली
7 शीशराम पुत्र मुरली (मृतक)
7/1 सन्तोष पत्नी श्री शीशपाल
7/2 ओमप्रकाश पुत्र शीशपाल
7/3 पवन पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी श्योपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7/4 नितु पुत्री शीशपाल पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी स्वरूपसर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 मामराज पुत्र मुरली
9 पतासी पत्नी हुक्मा
10 रामनिवास पुत्र हुक्मा
11 परमेश्वर पुत्र हुक्मा
12 विद्याधर पुत्र नोपराम
12/1 गिन्नी पत्नी विद्याधर
12/2 कुलदीप पुत्र विद्याधर
12/3 संदीप पुत्र विद्याधर जाति जाट निवासी योपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
12/4 निर्मला पुत्री विद्याधर पत्नी दिनेश जाति जाट निवासी भारू तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
12/5 नितु पुत्री विद्याधर पत्नी राकेश जाति जाट निवासी ढिलसर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनूं।
13 हरिराम पुत्र हरलाल
समस्त जाति जाट निवासी योपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
14 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय व ड़िक्री उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी मोहनलाल बनाम सुभा ा वगै. मुकदमा संख्या 243/2012 दावा बाबत घो णा व रिकार्ड दुरूस्ती बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2016

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजवीर सिंह ेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार IIRAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर • सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 6/6/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 243/2012 में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद से. 136 भू–राजस्व अधिनियम, घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 79, 80, 92/1, 92/2 के हाल खसरा नम्बर 152, 153, 154, 155, 230, 140, 141, 142 वाके ग्राम श्योपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तारीख पेशी 07.09.2015 नियत थी व आगामी तारीख पेशी 16.11.2015 नियत थी व बाद में 19.01.2016 नियत थी यह सभी पेशीयां मोहर लगाकर के वकीलों के कार्य स्थगन के कारण दी गई थी व दिनांक 05.01.2016 को वादी की तरफ से एक शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र लेकर के बिना पक्षकारों को सुने ही व बिना कोई उचित कारण दर्ज किये ही शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आगामी तारीख पेशी 13.01.2016 नियत कर दी। परन्तु दिनांक 13.01.2016 की तारीख पेशी का कोई नोटिस जारी नहीं किया व बाला बाला रूप से मनगढ़ंत रूप से प्रतिवादीगण की तलबी मानकर के एक तरफा आदेश पारित करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेशिका दिनांक 13.01.2016 में यह दर्ज किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की तामील रिपोर्ट पर यह आया बताया कि प्रतिवादी नम्बर 4 व 5 अहमदाबाद रहते हैं व यह अंकित किया जाना बताया कि वे मर गये है या जिन्दा है पता नहीं परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि किसी मृतक व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित किया जा सकता है या नहीं इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर ना कर निर्णय व डिक्री पारित करने में

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 13.01.2016 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना दर्ज किया है परन्तु इस तरफ गौर नहीं किया कि काउन्टर क्लेम भी दावे की तरह ही होता है व खारिज या डिक्री होने पर भी कानूनन डिक्री बनती है। वादी ने अपने दाबे की धारा 3 में यह प्लीड किया है कि रामचन्द्र के हक व हिस्से की 1/2 हिस्से की जमीन में से 3 बीघा 17 बिश्वा का बेचान करवाया जाना दर्ज किया है व खरीदी गई जमीन के दक्षिण में वादी अपनी जमीन बताकर के आया है व वाद की धारा 5 में वादी ने यह दर्ज किया है कि 'भूमि खरीदने की तारीख 23.05.1984 से वादी गत खसरा नम्बर 92 के भाग पर काबिज है तथा आवासीय मकानात एवं पशुओं का नोहरा बनाकर काम में ले रहा है। जिसे वर्तमान किश्तवार नक्शा में भी खसरा नम्बर 155 में है व सेटलमेंट विभाग ने भी वादी के कब्जे की भूमि को नक्शा किश्तवार की भूमि में डोटेड लाईन से अंकित किया है।'इस प्रकार से वादी ने अपने दावे में भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 155 में से ही खातेदारी चाहने का दावा पेश किया है व कानूनन यह खातेदारी की जमीन में स्पेशिफीक खसरा नम्बर का बेचान नहीं हो सकता केवल हिस्से का ही बेचान हो सकता है। इस बाबत विचारण न्यायालय ने गौर ना कर मनमाने रूप से वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदारी अधिकार देने में गलती कानूनी की है। बिना प्रतिफल दिये बयनामा कानूनन नहीं हो सकता उक्त बयनामा फर्जी व साजसी है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ भी गौर नहीं किया कि वादी ने गत खसरा नम्बर 92 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 155 होते है। उक्त जमीन का ही बयनामा करवाया जाना दर्ज किया है व वर्तमान खसरा नम्बर 155 की खातेदारी की जमीन में अपीलान्ट का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि रामचन्द्र ने अपने हक व हिस्से की जमीन का बेचान पूर्व मे कर चुका है व जिनको बेचान किया है उनकी खातेदारी में जमीन आ चुकी है व शेष जमीन में रामचन्द्र के हक व हिस्से की 0.97 हैक्टेयर जमीन शेष ही नहीं है तो वादी को किसके हिस्से की जमीन में से खातेदारी दी गई है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर ना कर दुर्भावना से प्रेरित होकर वाद वादी डिक्री किया है जो कि निरस्त होने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर के विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट सुभाष बाद तामील दिनांक 21.11.2012 को विचारण न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये है। दिनांक 13.01.2016 को अपीलान्ट के विरूद्ध अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 28.01.2016 को वादी ने लिखित बहस पेश की है एवं दिनांक 10.02.2016 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री किया गया है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 09 नियम 13 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अत अपील के स्तर पर तामील अथवा एकपक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध कोई कथन करने का अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री को ही चुनौति दी गई है। काउन्टर क्लेम की कोई अपील नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 11 राजपाल की ओर से अपील संख्या 58/2016 प्रस्तुत की गई थी। जो बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.02.2020 से खारिज की जा चुकी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट सुभाष बाद तामील दिनांक 21.11.2012 को विचारण न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये है। दिनांक 13.01.2016 को अपीलान्ट के विरूद्ध अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 28.01.2016 को वादी ने लिखित बहस पेश की है एवं दिनांक 10.02.2016 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री किया गया है। अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 09 नियम 13 के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अत अपील के स्तर पर तामील अथवा एकपक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध कोई कथन करने का अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री को ही चुनौति दी गई है। काउन्टर क्लेम की कोई अपील नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 11 राजपाल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की ओर से अपील संख्या 58/2016 प्रस्तुत की गई थी। जो बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.02.2020 से खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)